

61

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०
~~म०प्र०~~ पुनर्स्थापना अशोकनगर भूरा/2018/2262
प्रकरण क्रमांक /2018 आवेदन

1. हरिओम पुत्र श्री राजधर प्रसाद शर्मा
2. श्रीमती मीना शर्मा पत्नी श्री हरिओम शर्मा निवासीगण-पाराशर मौहल्ला, अशोक नगर, म०प्र०.....आवेदकगण

बनाम

1. चकेश जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन
2. श्रीमती मंजू जैन पत्नी श्री राजेश जैन निवासीगण-सुभाषगंज, अशोक नगर, ग्वालियर, म.प्र....अनावेदकगण

आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 35(3) भू-राजस्व संहिता वास्ते निगरानी प्रकरण क्रमांक III/निगरानी/अशोक नगर भूरा/2018/0615 व उनमान हरीओम शर्मा आदि बनाम चकेश कुमार जैन आदि को पुनः सुनवाई में लिये जाने बावत्। जो कि माननीय सदस्य श्री एम०के० अग्रवाल साहब द्वारा दिनांक 09.03.2018 को निगरानीकर्ता की अभिभाषक की अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया गया।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से आवेदन-पत्र निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है:-


प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 विरुद्ध आदेश दिनांकी 06.12.2017 पारित

श्री. रावेंद्र कुमार
आज दिनांक 6-4-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क
दिनांक 3-5-18 नियत।

6-4-18

3/5/18
Jain



III पुनीत अशोकनगर / अ.अ. / 2018 / 2262



19/6/18

दिनांक 18/6/18 का Local अवकाश लेने से प्रकटा आया प्रमाण।

Not

सावदेक सामंथाली वामाया दि 06 दिनांक 9/3/18 को मीन. उत्तरमामाण्य में एमए कोमरे के काठा उपस्थित मही ले सके अवः प्रकटा R - 615/2018 पुनः मन्त्रालय जाने का अनुरोध किया जाता है। सावदेक का अनुरोध-लोकल किया जाता है तथा प्रकटा R. 615/18 में पण्डित सावदेक दिनांक 9/3/18 का पुनः मन्त्रालय जाने का अनुरोध किया जाता है प्रकटा R. 615/18 किया जाता है।

(Signature)

सहस्र

